

31/5/2022

अभिलेख उपस्थित / देनदार द्वारा बकाया राशि कागजीलख के नजारा खारवा में N.R. No. - 3409463, 26/5/2022 के द्वारा जुमा किया गया है। खारवा प्रबंधक, 381 के द्वारा मासिक रूप से बताया गया कि देनदार द्वारा अपनी मूल राशि के 50% राशि जमा करने के पश्चात देनदार से संबंधित नीलाम पत्र वाद लोक अदालत में आपली समंजस के तहत निष्पादन किया जाता है।

वर्तमान में देनदार द्वारा 50% राशि जमा कर दिया गया है।

अतः लोक अदालत में नीलाम पत्र वाद निष्पादन की प्रत्याशा में अभिलेख की कारबाई बंद की जाती है।

लेखापित्र

नीलाम पत्र पदाधिकारी  
31/5/22  
याकुलिमा।